[2021] 7 एस.सी.आर. 528

अवनीश चंदन गडगिल और एक अन्य

बनाम

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और अन्य

(2021 की सिविल अपील संख्या 6898)

24 नवंबर, 2021

[एम.आर. शाह और संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति]

बैंक और वित्तीय संस्थाओं का ऋण वसूली अधिनियम, 1993: धारा 30 - धारा 30 के तहत अपील को प्राथमिकता देने में विलंब - विलंब की माफ़ी प्रदान करने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता - अभिनिर्धारित किया गया: परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता, वसूली अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील पर नहीं होगी जैसा कि अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत प्रदान किया गया है - परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा 5

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. **** इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड*****, के मामले में, 2000 के संशोधन के बाद, बैंक और वित्तीय संस्थाओं का ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत अपील पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि जहां तक अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत अपील का संबंध है, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 को विशेष रूप से बाहर रखा गया है। इस प्रकार, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अधिनियम** की प्रयोज्यता**, वसूली अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील पर नहीं होगी, जैसा कि अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत प्रदान किया गया है। [पैरा 7, 9] [530-डी-ई; 531-सी-डी]**

* इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम एल्ड्रिच फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और अन्य का आधिकारिक परिसमापक, (2017) 16 एस.सी.सी. 137: **[2017] 10 एस.सी.आर. 199 - पर भरोसा किया गया।**

2. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश और ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश, जिसमें वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत अपील को प्राथमिकता देने में हुए विलम्ब की माफ़ी

प्रदान की गई है, बनाये रखने योग्य नहीं हैं और रद्द किए जाने के लायक हैं। ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए डी.आर.ए.टी. द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया गया है। [पैरा 10] [531-ई-एफ]

ए.आर. वेणुगोपाल उर्फ आर. वेणुगोपाल बनाम जोथीस्वरन और अन्य, **(2016) 16 एस.सी.सी. 588 - को संदर्भित किया गया।**

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

[2016] 16 एस.सी.सी. 588 को संदर्भित किया पैरा 4

[2017] 10 एस.सी.आर. 199पर भरोसा किया पैरा 7

सिविल अपीलीय अधिकारिता: 2021 सिविल अपील संख्या 6898

2015 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 4207 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 16.02.2016 के निर्णय और आदेश से।

राजीव मेहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, आर.एस. राजीव, अनूप प्रकाश अवस्थी, अधिवक्तागण, अपीलार्थियों के लिए।

दुष्यंत पाराशर, विपिन कुमार जय, गुरिंदर जय, अचिंत्य द्विवेदी, भगवती प्रसाद पाधी, अधिवक्तागण, प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति:

1. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 4207 में दिनांकित 16.02.2016 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 इसमें-बैंक द्वारा दायर की गई उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद "डी.आर.ए.टी." के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित आदेश को खारिज और अपास्त कर दिया है, जिसके द्वारा विद्वान डी.आर.ए.टी. ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश खारिज और अपास्त कर दिया है जिसमें बैंक और वित्तीय संस्थाओं का ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (जिसे इसके बाद "अधिनियम, 1993" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 30 के

तहत अपील को प्राथमिकता देने में विलम्ब को माफ़ी प्रदान की गई है, मूल प्रत्यर्थी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. वर्तमान अपील में शामिल विवाद् यक बहुत संकीर्ण दिशा में है।

3. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया गया संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत वसूली अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील पर होगी?

4. यह विवाद में नहीं है कि वसूली अधिकारी के आदेश के खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या 1-बैंक द्वारा अपील को दी गई प्राथमिकता में 31 दिनों का विलम्ब हुआ था। ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत विलम्ब की माफ़ी प्रदान कर दी। डी.आर.ए.टी. ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा पारित उस आदेश को अपास्त कर दिया, जिसमें परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलम्ब की माफ़ी प्रदान की गई थी। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने, **ए.आर. वेणुगोपाल उर्फ आर. वेणुगोपाल बनाम जोथीस्वरन और अन्य, (2016) 16 एस.सी.सी. 588** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, डी.आर.एटी. द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया है।

5. अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत अपील पर परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलम्ब की माफ़ी प्रदान करते हुए ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को बहाल करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल प्रत्यर्थी-बैंक ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

6. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

7. प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि **इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम एल्ड्रिच फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और अन्य के आधिकारिक परिसमापक (2017) 16 एस.सी.सी. 137** के मामले में इस न्यायालय के प्रत्यक्ष निर्णय के मद्देनजर वर्तमान अपील में शामिल विवाद् यक अब प्रासंगिक नहीं है। 2000 के संशोधन के बाद अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत अपील से निपटते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जहां तक अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत अपील का संबंध है, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 को विशेष रूप से बाहर रखा गया है। ऐसा अभिनिर्धारित करते समय, पैरा 13 में, निम्नानुसार यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है: -

"**13.** आर.डी.बी. अधिनियम एक विशेष कानून है। कार्यवाही एक सांविधिक न्यायाधिकरण के समक्ष है। अधिनियम की योजना में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि विधायिका ने केवल धारा 19 के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष मूल कार्यवाही के लिए परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता का प्रावधान किया है। अपीलीय न्यायाधिकरण को अधिनियम की धारा 20 (3) के तहत 45 दिनों से अधिक की विलम्ब की माफ़ी प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। वसूली अधिकारी के समक्ष कार्यवाही न्यायाधिकरण के समक्ष की कार्यवाही नहीं होती है। धारा 24 की प्रयोज्यता अपने आवेदन में केवल धारा 19 के तहत उत्पन्न होने वाली न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही तक सीमित है। अधिनियम की धारा 30 के तहत अपील को प्राथमिकता देने में न्यायाधिकरण द्वारा समय के विस्तार के लिए किसी भी प्रावधान का बहिष्कार यह प्रकट करता है कि बहिष्करण के लिए विधायी इरादा व्यक्त किया गया था। इसलिए परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) का सहारा लेकर परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए वसूली अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए आर.डी.बी. अधिनियम की धारा 30(1) के तहत 30 दिनों की निर्धारित अवधि को परिसीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू करके माफ़ी प्रदान नहीं की जा सकती है।

8. इस स्तर पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि **ए.आर. वेणुगोपाल उर्फ आर. वेणुगोपाल (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय भरोसा किया गया है, इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से **इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में उसके विरुद्ध निर्णय दिया गया है।

9. इस प्रकार, उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार और यहां तक कि अधिनियम, 1993 की धारा 30 पर विचार करते हुए, हमारा यह भी विचार है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत प्रदान किए गए वसूली अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील पर नहीं होगी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने डी.आर.ए.टी. द्वारा पारित आदेश को रद्द एवं अपास्त करने में और परिसीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू करके धारा 30 के तहत अपील को प्राथमिकता देने में विलम्ब की माफ़ी प्रदान करते हुए ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को बहाल करने में गंभीर त्रुटि की है।

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आपेक्षित निर्णय और आदेश और ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा, अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत अपील को प्राथमिकता देने में विलम्ब की माफ़ी प्रदान करते हुए, पारित आदेश, जिसे वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ प्राथमिकता

दी गई थी, बनाये रखने योग्य नहीं हैं और रद्द किए जाने और अपास्त किए जाने के लायक हैं और तदनुसार रद्द और अपास्त किए जाते हैं। ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए डी.आर.ए.टी. द्वारा पारित आदेश को बहाल कर किया जाता है। तदनुसार अपील की अनुमति है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल अपील की अनुमति दी गई।

<u>अस्वीकरण :</u>

क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

लाल सिंह, पूर्व ए.डी.जे.